<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री कुलदीप शर्मा, 47, अपट्रान इलेक्ट्रानिक स्टेट-पनकी, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**030 / 13, 03.07.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री आर0 के0 त्रिवेदी, विद्वान अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री कुलदीप शर्मा, 47, अपट्रान इलेक्ट्रानिक स्टेट-पनकी, कानपुर द्वारा दिनांक 08.04.2013 को उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न वस्तुओं पर कर की दर जाननी चाही है :-

- इन्सूलेशन टेस्टर्स रेन्ज वोल्ट क्रमशः 500, 1000, 2500, 5000 एवं 10000
- डिजिटल अर्थ रेजिसटेन्स टेस्टर
- आटो रेन्ट डिजिटल इन्स्यूलेशन टेस्टर
- माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड प्रोग्रामेबल केबिल फाल्ट लोकेलाइजर
- माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड अर्थ रेसिसटेन्स / ग्राउण्ड रेसिसटीविटी टेस्टर

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री आर0 के0 त्रिवेदी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित तर्क दाखिल किये गये। उनके द्वारा कहा गया कि उक्त सभी वस्तुएं भी मीटर हैं। अतः इन पर उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रमांक-271 पर अंकित प्रविष्टि के अन्तर्गत 4% की दर से कर होना चाहिये।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रमांक-271 पर अंकित प्रविष्टि में सभी प्रकार के मीटर नहीं है। केवल ammeter, Kwh meter, voltmeter ही हैं। प्रार्थी द्वारा सन्दर्भित वस्तुयें इसमें सम्मिलित नहीं हैं। उक्त वस्तुओं पर, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत, अवर्गीकृत वस्तु की भाँति, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रमांक-271 की प्रविष्टि निम्नवत है :-

‘‘ Winding wires and strips , ammeter, Kwh meter, voltmeter, Insulating materials, insulator, jointing materials, Circuit breakers, HRC fuse, thermostat, Electrical relays and single phasing preventor and timers. "

इस प्रविष्टि में प्रार्थी द्वारा सन्दर्भित वस्तुयें सम्मिलित नहीं हैं। अतः उक्त वस्तुएं, उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III या IV में सम्मिलित न होने के कारण, इन पर, उार प्रदेश वैट

.......2

अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत, अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 30 अगस्त, 2013

ह0 / 30.08.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उार प्रदेश, लखनऊ।